(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं० 35 /2017-सीमाशुल्क (ए.डी.डी)

नई दिल्ली, दिनांक- 13 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ) - जहां कि, "औ-एसिड" (एतसमिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ, 1975 (1975 का 51) (एतसमिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आता है और चीन गणराज्य (एतसमिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/31/2016-डीजीएडी, 23 मई 2017, जिसे दिनांक 23 मई, 2017 को भारत के राजपत्र, आसाधारण के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशित किया गया था, के प्राथमिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत माल का विषय देश से भारत को किया गया निर्यात, निर्यातकर्ता देश के घरेलू बाजार के सामान्य मूल से कम मूल्य पर किया गया है:

(ii) विषयगत देश से आयात किया गया विषयगत माल की डंपिंग मार्जिन काफी है और न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक है:

(iii) घरेलू उद्योग में काफी मंदी आयी है क्योंकि विषयगत देश से विषयगत माल के कारण भरमार हो गई है:और

(iv) जांच के दौरान घरेलू उद्योग को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की जरूरत है।

और घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने "मार्जिन ऑफ डंपिंग" और "मार्जिन ऑफ इंजुरी" में से जो कम हो उसके बराबर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2), सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, विषयगत माल जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है, जो कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिम की प्रथम अनूसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दिए गए विषयगत देश से निर्यातित हैं, कॉलम (6) में दी गई तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शायी गई राशि की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दशाई गई मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रवृष्टि में दर्शाए गए माप की प्रति इकाई में अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है।

सारणी

क्रम सं०	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूल रूप से तैयार करने वाला देश	निर्यात करने वाला देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	मापन की ईकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29419030 29152990 29163990 29183090 29189900 29349900 29411090 29419090 29420090	ओ–एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चियांग चिवांग फार्मासियूटीकल कं० लि०	चियांग चिवांग फार्मासियूटीकल कं० लि०	4.94	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
2		ओ–एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	चियांग चिवांग फार्मासियूटीकल कं० लि०	I. झिजियांग केमिकल्स इमपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. ii. झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०	7.50	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
3		ओ–एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स. यांनजेंग जिंगएंगझू फार्मासियूटीकल कं० लि०.	i. झिजियांग केमिकल्स इमपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. ii. झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि० iii. झिजियांग यूईजी बिजनेस सर्विस कं० लि०	5.04	किलोग्राम	अमेरिकी डालर

						iv. झिजियांग जियांग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०.			
4		ओ-एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स इनर्स मंगोलिया यूआंगहांग फाइन केमिकल कंपनी लि०	i. ड्रीमलेंड क्रेसन आईएनसी ii. झिजियांग यूईजी बिजनेस सर्विस कं० लि० iii. झिजियांग झेजियांग योंहोंग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नोलाजी कं० एंड लि० झिजियांग झेजियांग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नोलाजी कं० एंड लि० iv.चीन सीनोफार्म इंटरनेशनल कार्पोरेशन चीन सीनोफार्म इंटरनेशनल कार्पोरेशन	8.55	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
5		ओ-एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स जेंगजिंग डेडी फार्मासिक्यूटिकल लि० लाइबिटी कं०	झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०.	0.03	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
6		ओ-एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स.झिजियांग योंगहोंग मेडिकल एंड केमिकल टेक्नॉलाजी क० लि०	i.झिजियांग मेडिसिन्स एंड हेल्थ प्रोडक्टस कं० लि० ii. चीन सीनोफार्म	3.57	किलोग्राम	अमेरिकी डालर

						इंटरनेशनल कार्पोरेशन iii. झिजियांग केमिकल्स इमपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. iv. झिजियांग हेंडियान अपीलोआ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं० लि०. v. ड्रीमलेंड क्रेसन आईएनसी . vi. संघाई चेंगयू केमिकल टेक्नोलनाजी कं० लि०			
7	29419030 29152990 29163990 29183090 29189900 29349900 29411090 29419090 29420090	ओ-एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लेखित कोई भी संयोजन		8.79	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
8		ओ-एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश		कोई भी	8.79	किलोग्राम	अमेरिकी डालर
9		ओ-एसिड या ओफलोक्सिन एसिड	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	8.79	किलोग्राम	अमेरिकी डालर

2. यह अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क जोकि इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया है, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 महीने की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता

है, संशोधित नहीं किया जाता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना में लागू विनिमय दर वह दर होगी जोकि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना जोकि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है और समय पर संशोधित की गई है, में विनिर्दिष्ट होगी और विनिमय दर के निर्धारण की तारीख वही तारीख होगी जोकि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत किए जाने की होगी।

(फा.सं. 354/111/2017-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार